

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (24)एम.ई./ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक 26/5/17

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक 1 (10)एम.ई./ग्रुप-1/2001 दिनांक 26.04.2017 द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्य, शिशु शल्य को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अवधि में वृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पदस्थापन स्थान	मेरिट संख्या	अभिवृद्धि हेतु समय
1.	डॉ. राहुल गुप्ता, सहायक आचार्य, शिशु शल्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, कोटा।	एम-01	26.06.2017


उक्त चिकित्सक की कार्यग्रहण अवधि वृद्धि के समाप्ति पर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव